



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण, वाद संख्या-76/2023-24

सरकार

बनाम्

अंकित कुमार

— आदेश —

दिनांक 16/11/24

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला बलबड्डा थाना काण्ड संख्या-62/2023 दिनांक-26.08.2023 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक-4255/अप0शा0 दिनांक-05.10.2023 से धारा-379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त हाईवा (टीपर) निबंधन संख्या-WB45-1970 तथा उस पर लदे स्टोन-चिप्स को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त हाईवा (टीपर) निबंधन संख्या-WB45-1970, के मालिक एवं चालक के विरुद्ध अवैध रूप से स्टोन-चिप्स की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या-02 में इस कांड को धारा-379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त हाईवा (टीपर) निबंधन संख्या-WB45-1970, के मालिक एवं चालक के विरुद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त हाईवा (टीपर) निबंधन संख्या-WB45-1970, के मालिक अंकित कुमार, पिता-स्व0 विजय कुमार, सा0+थाना-महागामा, जिला-गोड्डा के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त हाईवा (टीपर) निबंधन संख्या-WB45-1970 एवं उस पर लदे

स्टोन-चिप्स के विरुद्ध धारा-379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

प्रतिवेदन के आधार पर विपक्षी को कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिश निर्गत किया गया। विपक्षी की ओर से कारण-पृच्छा दाखिल किया गया।

विपक्षी अंकित कुमार का कथन है कि विपक्षी के जप्त वाहन के द्वारा वैध चालान के आधार पर खनिज का परिवहन किया जा रहा था, जिसका चालान नं0-F82301966168 है। लेकिन जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा गलत ढंग से मामला दर्ज किया गया है, जो विपक्षी पर चलने योग्य नहीं है। विपक्षी को अग्रिम जमानत भी मिल गया है। विपक्षी का जप्त वाहन थाना परिसर में खुले स्थान पर पड़ा हुआ है। इसलिए जप्त वाहन को राजसात से विमुक्त करने की कृपा की जाय।

सरकारी वकील का कथन है कि स्टोन-चिप्स परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध रूप से स्टोन-चिप्स प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है एवं जप्त कर बलबड़डा थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तों के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का जप्त हाईवा (टीपर) निबंधन संख्या-WB45-1970, को ई-परिवहन चालान के अनुसार 600 घन फुट निर्गत है। लेकिन उक्त जप्त वाहन पर 800 घन फुट स्टोन-चिप्स लदा पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन के द्वारा अवैध ढंग से स्टोन-चिप्स का परिवहन किया जा रहा था। लेकिन चूंकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा ने झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत जुर्माना राशि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि एवं पूर्व में

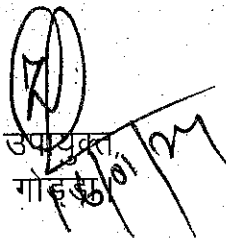
संलिप्तता के आलोक में अतिरिक्त दण्ड के राशि, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

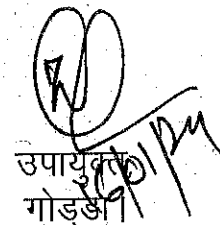
वाहन संख्या	पूर्व में अवैध परिवहन में संलिप्तता की संख्या	खनिज एवं खनिज की मात्रा (CFT)	खनिज का मूल्य	खनिज का दुगुनी राशि	संलिप्तता के आधार पर अतिरिक्त दण्ड की राशि	कुल दण्ड की राशि
WB45-1970	01	800	27360.00	54720.00	50000.00	104720.00

एवं दो लाख रु० का जमानत बंध-पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर जप्त हाईवा (टीपर) निबंधन संख्या-WB45-1970, को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
2. वाहन को किसी दूसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं० अंकित कर समर्पित करेंगे।

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि जुर्माना की उपरोक्त राशि, उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं दो लाख रु० का जमानत बंध-पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन एवं उस पर लदे स्टोन-चिप्स को विमुक्त करेंगे तथा इसकी सूचना सभी संबंधित को देंगे।
लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त
गोड्डा


उपायुक्त
गोड्डा

